वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला आपूर्ति प्रशाखा)

विज्ञापन

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में वर्णित प्रावधानों, प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के पत्रांक– प्र0 07–ज0वि0प्र0(अनुज्ञप्ति)–05/2025 I/228263/2025/खाद्य, पटना/ दिनांक–11.04.2025, सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के पत्रांक– प्र0 07–ज0वि0प्र0(अनुज्ञप्ति)–05/2025 I/235208/2025/खाद्य, पटना/ दिनांक–30.04.2025, आयुक्त के सचिव–सह–उप निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–95/एस0सी0 मुजफ्फरपुर, दिनांक–09.05.2025, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–13062 दिनांक–12.10.2017 के द्वारा लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की रिक्तियों के आलोक मे नियमानुसार अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निदेश प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि पूर्व से निर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1222/खाद्य, दिनांक–08. 03.2017, पत्रांक–1571/खाद्य, दिनांक–28.03.2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या–963 दिनांक–20.01.2016 एवं पत्र संख्या–2342 दिनांक–15.02.2016 में निहित प्रावधानों एवं सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या–11/आ0नी0–I–10/2023 सा0प्र0 14396 दिनांक–10.09.2024 एवं सरकार के संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–11/आ0वि0–04/2025 सा0प्र0 4400 दिनांक 11.03.2025 के आलोक में वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर, महुआ एवं महनार अनुमंडल के जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियाँ निम्न प्रकार हैः–

क्र0	अनुमंडल का नाम	अनारक्षित	अनारक्षित महिला	पि0 व0	पि0व0 महिला	पि0व0की महिला	अ0पि0 व0	अ0 पि0व0 महिला	अनु0 जाति	अनु0 जाति महिला	अनु0 ज0 जाति	अनु0 ज0जाति महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	हाजीपुर	29	16	–	–	08	06	03	–	–	03	02	05	02	74
2	हाजीपुर नगर परिषद्	10	06	–	–	–	02	–	03	01	–	–	02	–	24
3	लालगंज नगर परिषद्	03	02	–	–	–	–	–	01	–	–	–	01	–	07
04.	महुआ	07	04	–	–	04	11	06	–	–	–	–	03	01	36
05.	महनार	–	–	–	–	–	05	02	01	–	01	–	01	–	10
06.	महनार नगर परिषद्	01	–	–	–	–	03	02	–	–	–	–	01		07
कुल योग		50	28	–	–	12	27	13	05	01	04	02	13	03	158

इस प्रकार कुल–158 (एक सौ अंठावन) जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को भरने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।

01. बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान/जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए) अनुसूची 1 के प्रपत्र तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों के लिए अनुसूची 2 के प्रपत्र **में आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर/महुआ/महनार के कार्यालयों में निर्धारित तिथि** 20/07/2025 **से** 12/08/2025 **तक कार्यालय अवधि में सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।**

02. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास व्यस्क होगा, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।

03. अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार की प्राथमिकता दी जाएगीः-

(क) स्वयं सहायता समूह (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ (घ) शिक्षित बेरोजगार तथा (ङ.) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

04. निम्नलिखित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा-

I. एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पिता, माता, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आएँगे।

II. मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद्, सांसद तथा नगर निकायों की निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (disqualified) रहेंगे।

III. आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट सम्बन्धियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी।

IV. अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी।

V. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जाएगी।

VI. सरकार में लाभ के पद पर धारण करने वाले उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी।

05. अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु आवेदन पत्र अनुमंडलवार विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 12/08/2025 तक कार्यालय अवधि में केवल निबंधित डाक द्वारा हीं स्वीकार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

06. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

07. सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या–11/आ0नी0–I–10/2023 सा.प्र. 14396, दिनांक–10.09.2024 द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निदेश का अनुपालन, परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में क्रमशः स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दो प्रतिशत एवं विभागीय संकल्प संख्या–13062 दिनांक–22.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

08. पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर/महुआ/महनार से प्राप्त कर सकते है।

नोट :–

1. आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) पाँच प्रति में संलग्न करना होगा, जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र में सबसे ऊपर दाँये कोने में चिपकाना होगा।
2. आवेदक को अपना मोबाईल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा।
3. आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे ऊपर उस पंचायत/नगर वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत/नगर वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए वे आवेदन कर रहे हैं।
4. शैक्षणिक योग्यता/कम्प्यूटर से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
5. आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
6. संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण–पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन में संलग्न करना होगा।
7. कार्यपालक दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधी शपथ–पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
8. एक से अधिक पंचायत/नगर वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
9. जिन पंचायतों/नगर वार्डो में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियाँ अनुशंसित है, वहाँ अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपलब्ध न होने पर यह रिक्तियाँ अनुसूचित जाति के आवेदकों से भरी जाएगी। अतः ऐसे पंचायतों/वार्डो में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति दोनों कोटि के आवेदक आवेदन कर सकते है।

10 आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते है, उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

18/07/202

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।